PWD Uttarakhand

☎ : 05946 – 220780
Email: eenhhld@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक 70 /शिविर NOC रोड कटिंग — दिनांक : 15/10/2016

सेवा में,

Idea cellular Limited,
Uttar Pradesh (West) circle,
A-68, First Floor Sector-64
Noida 201301

विषय : राष्ट्रीय मार्ग सं0–87 (नया 109) के किमी0 89.100 (काठगोदम) से किमी0 123.000 (नैनीताल) तक ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने की अनुमति प्रदान करने के संबध में।

संदर्भ : जिलाधिकारी के पत्र संख्या 502/23–स्था0नि0लि0/2016, दिनांक 06/10/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या RW/NH-33044/27/2005/S&R (R) (PT) दिनांक 07/08/2013 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 (नया–109) के किमी0 89.100 (काठगोदम) से किमी0 123.000 (नैनीताल) में ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाये जाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति निम्न शर्तानुसार प्रदान की जाती है :–

1. प्रति 5.00 किमी0 में कम्पनी द्वारा एक समय पर 200 मीटर मार्ग खोदा जायेगा। मार्ग पुनः सुचारू करने के साथ कम्पनी अग्रेत्तर मार्ग पर कार्य कर सकती है।
2. पर्वतीय क्षेत्रो मे 1 मीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 1.5 मीटर गहराई पर केबिल डाली जायेगी।
3. कार्य के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा तथा मार्ग अवरूद्ध यातायात हेतु प्रभावित न हो।
4. मार्ग में सिर्फ हिल साईड मे ही खुदान किया जाय। किसी भी स्थिति में खड्ड साईड मे खुदान न किया जाय।
5. ट्रैन्च खुदान के समय रोड सेफ्टी का पूर्ण ध्यान रखा जाय एवं लाल झण्डियों एवं कार्य प्रगति सम्बन्धी सूचना पट्ट आवश्य लगाये जाये। ट्रैन्च खुदान एवं ओ0एफ0सी0 केबिल डालने के उपरान्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाना होगा एवं इस बीच यातायात को सुचारू रखने की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। ट्रैन्च खुदान के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
6. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परिसम्पत्ति को क्षति पहुँचती है तो आपको अपने व्यय पर उसे ठीक कराना होगा अथवा मुआवजा देय होगा।
7. विभाग द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण एवं अन्य कोई कार्य किये जाने पर केबिल/पाईप आदि की शिफ्टिंग की आवश्यकता होती है तो आप अपने व्यय पर अपने केबिल लाईन आदि की शिफ्टिंग की कार्यावाही करेंगे।
8. ट्रैन्च खुदान सिर्फ पटरी या नाली में किया जाये मार्ग की पेन्टेड सतह को क्षति न पहुँचायी जाय।
9. यदि भविष्य में मार्ग का निर्माण/पुनः निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है एवं उसमे ओ0एफ0सी0 लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो ऐसी स्थिति में इस विभाग का कोई उत्तरदायी नही होगा।
10. यह अनुमति एक लम्बाई में एक ही बार ट्रैन्च खुदान हेतु दी जा रही है।
11. MOU की शर्तो का पालन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में अनुमति निरस्त की जा सकती है।

15/10/16
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
हल्द्वानी (नैनीताल)

—क्रमशः—

पत्रांक /शिविर NOC रोड कटिंग दिनांक : /10/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी नैनीताल।
2. अधीक्षण अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
3. सहायक अभियन्ता (प्रथम) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
हल्द्वानी (नैनीताल)